-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 02 अभियुक्तों को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **एक डीसीएम में 12 भैंसे व 06 पड़वा लेकर जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान नरैनी-बांदा मार्ग पर गिरवां के पास से किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.01.2025 को देर शाम थाना गिरवां पुलिस द्वारा गश्त एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर के सूचना पर नरैनी-बांदा मार्ग पर गिरवां के पास के एक डीसीएम में क्रूरतापूर्वक बेजुबान जानवरों को भरकर ले जा रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 12 नग भैंसे व 06 नग पड़वा
- 01 अदद् डीसीएम (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जावेद अली पुत्र कबूल अली निवासी बिन्दकी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
2. अल्फेज उर्फ भोलू पुत्र कुरैशी निवासी बाबूलाल चौराह थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 28/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी गिरवां श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. उ0नि0 श्री सत्य प्रकाश सिंह
3. कां0 अजय यादव
4. कां0 आशू सिंह